280)

बिहार सरकार सैनिक कल्याण निदेशालय गृह विभाग (आरक्षी शाखा) मुख्य संविद्यालय, ब्लॉक—2, द्वितीय तल, पटना—800015

से०कावित् / २४ / ३० / २०१५ / ८० ने / पटना-१५, दिनांक © 2 अप्रैल २०१९

आदेश

सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि मेधावी छात्रवृत्ति की स्वीकृति से संबंधित आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है :--

- (क) प्राप्त आवेदन पत्र में उल्लेखित शिक्षा संस्थान AICTE/UGC/STATE TECHNICHAL BOARD/COUNCIL से मान्यता प्राप्त है या नहीं की जानकारी उक्त संस्थान से प्राप्त कर आयेदन पत्र के साथ किया जाय।
- (ख) संबंधित विद्यार्थी के लिए निर्गत Bonafied-Certificate उक्त संस्थान द्वारा सत्यापित करा कर संलग्न किया जाय।
- (ग) उक्त विद्यार्थी जिसका Bonafied-Certificate निर्गत किया गया है, संबंधित सत्र् में अध्ययन किया है या नहीं, की जानकारी उक्त संस्थान से प्राप्त कर संलग्न किया जाय।
- उक्त प्रमाण पत्र संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य / निदेशक / प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिये ।
- आवेदन पत्र के साथ इसकी मूल प्रति ही संलग्न की जाय। बिना उक्त प्रमाण पत्र के मेघावी छात्रवृत्ति से संबंधित आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में निदेशालय को नहीं भैजी जाय।
- 4. जिला स्तर से निदेशालय को आयेदन पत्र अग्रसारित करने के पूर्व संबंधित जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी यह स्वयं सुनिश्चित होलें कि आयेदन पत्र अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण न हो।
- संलग्न दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति भेजना सुनिश्चित किया जाए।
- यह आदेश तत्कालिक प्रमाव से लागू समझा जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

हीं- 64 -19 (कर्नल दिलीप प्रसाद)

ज्ञापांक : सै०क०नि०/24/30/2015/60-7/पटना—15, दिनांक 02 अप्रैल 2019 प्रतिलिपि—जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, पटना, भोजपुर (आरा), छपरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरमंगा, भागलपुर, मुंगेर, गया, बक्सर, सिवान एवं हाजीपुर (वैशाली) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कारवाई हेतु ७२-०५-१९ निदेशक

दूरगाम-0612-2217013 ई-गेल-directorsknbihar@gmail.com Toll Free No-18003456207

बिहार सरकार गृह दिभाग सैनिक कल्याण निदेशालय



का०आ० / सै०क०नि० / 11 / 03 / 2014 / 434 / पटना – 23, दिनांक 🛨 अप्रैल 2017

कार्यालय आदेश संख्या / 5 /2017

दिनांक 17.01.2017 को हुई राजकीय प्रबंध समिति की 20वीं बैठक की कार्यवाही की मद संख्या 2.1 में निहित निर्णय के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों एवं मृत सैनिक के पत्नी के बच्चों को मेघावी छात्रवृति की दर में बढ़ोतरी की गई है। जिसमें भूतपूर्व सैनिकों एवं मृत सैनिक की पत्नी (सेना के हवलदार रैंक तक एवं नीसेना/वायु सेना में इसके समतुत्य रैंक तक) एवं वैसे विकलांग सैनिक पदाधिकारी/सैनिक जिसकी विकलांगता 50 प्रतिशत या उससे अधिक समतुत्य रैंक तक) एवं वैसे विकलांग सैनिक पदाधिकारी/सैनिक जिसकी विकलांगता 50 प्रतिशत या उससे अधिक समतुत्य रैंक तक) एवं वैसे विकलांग सैनिक पदाधिकारी/सैनिक जिसकी विकलांगता की प्रतियोगिता हो के आश्रित दो पुत्र/पुत्रियों को जिनका चयन अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो को मेघावी परीक्षा से सरकारी संस्थान में किया गया हो तथा उन्हें किसी अन्य संस्थान से छात्रवृति नहीं मिलती हो को मेघावी छात्रवृति देने हेतु निम्नवत स्वीकृति दी जाती है :-

- (1) मेधावी छात्रवृति की राशि 15,000/-रू० को बढ़ाकर 20,000/-रू० प्रतिवर्ष प्रति छात्र।
- (2) आय की सीमा को समाप्त किया गया।
- (3) बीठ एड०, एम० एड० एवं विधि कोर्स को मेघावी छात्रवृति में सम्मिलित किया गया।
- (4) मेघावी छात्रवृति पाठ्यकम के पूरे वर्षों के लिए देने का निर्णय लिया गया।
- यह आदेश राजकीय प्रबंध समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की तिथि यथा 17.01.2017 से प्रभावी होगा यह व्यय विशेष कोष (सैनिक कल्याण फंड) से किया जायेगा। स्वीकृति हेतु निवेशालय के झित्राक 166 दिनांक, 16.02.2010 एवं पत्रांक 310 दिनांक, 30.4.2010 में निहित शेष शर्सी यथावत रहेंगे।

€-(-) (देव नारायण मंडल) निदेशक

ज्ञापांक : सै० क० नि०/11/03/2014/...../पटना-23, दिनांक अप्रैल 2017 प्रतिलिपि, महामहिम के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग बिहार, पटना एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

छ∙।— निवेशक

इतिलिपि, सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिह पटना/लेखापाल/प्रभारी सहायक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई ह

निदशके दे -12

4

APPLICATION FOR MERIT SCHOLARSHIP/BOOK GRANT/HOSTEL GRANT

PART-I

(TO BE FILLED IN BY THE APPLICANT)

1.	No	Rank	Name
2.	Regiment/Cor	rps	:
3.	Date of Enrol	ment	
4.	Date of Disch	arge	
5.	Reason of Dis	scharge	
6.	Date of Death	(In case of Widows	s) :
7.	Cause of Dear	th	
8.	Permanent Ho	ome Address	
9.	Address for C	orrespondence	
10.	Identity Card	No. (Ex-Servicemer	n) :
11.	Name of War	d (Son/Daughter)	
12.	Name of Com	petitive Examinatio	n in which ward qualified:
13.	Name & Addr	ress of Institution wh	here admission is to take place.:
14. 15.		sion in Institution(A	attach Photo Copy):
16.	IFSC Code		2
17.	Name of Bank	with address	:
18.	Aadhar Card ?	No of applicant	

(Signature of applicant) (Ex-servicemen/Widow) Tele/Mob No:

Part -II

1.	Certified that :-		
	(a)	Miss/Master	(Name of ward)is the son/daughter of
	Sri/S	imt	
	(b)	His/Her date of birth is :	
	(c)	His/Her Date of Admission is	:
	(d)	During the academic session	he/she was the student of 1st/2nd/3rd
		/4th year in	(Name of Professional Course).
2.	It is t	further certified that :-	
	(a) (b)	The college/Institution is reco The student is not getting such	ognised by the Government. h grant/schlorship from this College/Institution.
			(Signature of principal of college/Head of Institution with office seal)

Part - III

It is certified that the details of application form has been scrutinised by me and found correct. This is also to certify that the college/institution is recognised from AICTE/MCI/DCI/BCI/AIMA etc and application of the above said ex-servicemen/widow has not been recommended and forwarded under Prime Minister's Merit Scholarship Scheme to Kendriya Sainik Board, New Delhi. This application is within the limit prescribed for two wards.

Singature of Welfare Organiser

RECOMMENDED/NOT RECOMMENDED

(Signature of Zila Sainik Kalyan Padadhikari)

.....3

IMPORTANT INFORMATION

- The Ex-servicemen should originally belongs to Bihar State and at present be residing in Bihar.
- Incomplete application forms will auromatically be treated as cancelled and no representation will be entertained by this Directorate.
- The application forms will be submitted in duplicate by the Ex-servicemen direct to their respective Zila Sainik Kalyan Karyalaya, who will forward the same to the Directorate within seven days after receipt of the application.
- Office seal of college/Institution must be clearly visible.
- Merit Scholarship will be granted to Ex-servicemen (JCOs/ORs/Widows of all ranks/ Disabled Officers having Disability of 50% or more) whose wards are admitted to Medical/Engineering/Agriculture/Business Management/ Bachelor/Master Degree courses in Management)/LT/Computer application/Mass Media/Journalism and all such other professional courses like M. Phil//M.Tech/B.Ed/M.Ed and Law course e.t.c. on the basis of Merit in recognised University/Institution and are not getting such Scholarship from any other sources.

DOCUMENTS REQUIRED WITH APPLICATION SHOULD BE ATTESTED BY ZILA SAINIK KALYAN PADADHIKARI.

- Check list duly signed by Zila Sainik Kalyan Padadhikari
- Photo copy of Entrance Test Admit Card.
- Photo copy Fee receipt of (1st/2nd/3rd/4th year as applicable).
- Photo copy of mark sheet (1st/2nd/3rd/4th year as applicable).
- Photo copy of discharge book/Service particulars.
- Photo copy of Identity Card of Ex-servicemen/widow.
- Photo copy of 1st page of Bank Pass book of applicant.
- Photo copy of Aadhar Card of applicant.

XXX

मेधावी छात्रवृत्ति से संबंधित चेक लिस्ट

8	-		
आवदक / आवदका	NJ		
年 年 8 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	4		
आवेदन का वर्ष प्रथम/दितीय/ वृतीय/चतुर्थ वर्ष	4		
प्रतियोगिता परीक्षा के प्रयेत पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति	51		
संबंधित वर्ष वह की रसीद की अभिप्रमाणित प्राथापति	6		
हिस्ताओं बुक की अमिप्रनाणित छायाप्रति	7		
विका संभिक कव्यान कार्यालय द्वारा निर्मत पहचान पत्र सं अभिप्रमाणित	a		
संबंधित वर्ष का अंक पत्र की अभिग्रमाणित सम्बद्धित प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ वर्ष	6		
आव प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित धायापति लागू है/ लागू नहीं	10		
जिला संनिक कार्यान कार्यान्य म अस्वेदन प्राप्ति की	11		
जिला सैनिक कल्याण कल्याण कल्याण कल्यान हारा निर्गत आवेदक का पहचान पत्र की अभिप्रभाणित	12		
वेज थास बुक्र की प्रमान पृष्ठ अभिप्रमाणित जयाप्रति	153		
आधार क जी अभिप्रमार्थ छारवाप्रति	14		

जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी का हस्ताक्षर